

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 06.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

दिनांक 06.02.2024 को शाम 5:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
 2. श्री एस.के. राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
 3. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
 4. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)
 5. श्री जगदीश चंदर, कार्यालय अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), सीएलए, नई दिल्ली।
 6. श्री के सी तनेजा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
 7. श्री विनय कुमार, प्रतिनिधि, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
- इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (ii) अमित गुसा, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), और (v) राजीव कुमार, जे ई, यूपीपीसीएल भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।
 - प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / विकासक / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

1. दिनांक 19.12.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

15/01/2024 और 16/01/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 15/01/2024

सुरेंद्र मलिक

और 16/01/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) जीकेबी आईकेयर प्राइवेट लिमिटेड - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

2.1 मेसर्स जीकेबी आईकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में "विनिर्माण" के लिए: (i) धूप का चश्मा लेंस (90014090) (22000 टुकड़े/सालाना) (ii) चश्मा लेंस, प्लास्टिक नेत्र लेंस, धारित प्लास्टिक नेत्र लेंस (90015000) (1,00,000 टुकड़े/प्रति वर्ष) (iii) लेंस के साथ लगे प्लास्टिक चश्मे के फ्रेम (90031100) (25000 टुकड़े/सालाना) (iv) लेंस के साथ लगे अन्य सामग्री के चश्मे के फ्रेम (90031900) (25000 टुकड़े/सालाना)); 2. व्यापार के लिए: (i) लेंस के साथ लगे प्लास्टिक के चश्मे के फ्रेम (90031100) (ii) लेंस के साथ लगे अन्य सामग्री के चश्मे के फ्रेम (90031900) (iii) प्लास्टिक के धूप के चश्मे (90041000) (iv) अन्य सामग्री के धूप के चश्मे (90049090)" के निर्माण के लिए एक नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

2.2 श्री विवेक गुप्ता, निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री गुप्ता ने बताया कि विभिन्न प्रकार के चश्मा लेंस और धूप के चश्मे के लिए यह उनकी समूह की अन्य कंपनियों से एक अलग इकाई है।

2.3 यह देखा गया कि आवेदक इकाई ने आईटीसी एचएस शीर्षक 9003 के तहत 'लेंस के साथ लगे चश्मे के फ्रेम' को वर्गीकृत किया है, जिसे आईटीसी एचएस शीर्षक 9004 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

अनुमोदन समिति ने आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

- (i) शपथ पत्र का सत्यापन भाग नहीं भरा गया है।
- (ii) विदेशी मुद्रा व्यय के ब्यौरे में उल्लिखित आयातित मशीनरी/कच्चे माल का अनुमान फॉर्म-एफ में उल्लिखित अनुमान से बेमेल है।
- (iii) आवेदक ने फॉर्म-एफ के अंतिम पृष्ठ पर उचित स्थान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और आधिकारिक मुहर/स्टाम्प नहीं लगाया है।
- (iv) निगमन प्रमाणपत्र की प्रति नहीं दी गई है।
- (v) संगम ज्ञापन (MOA) की पूरी प्रति नहीं दी गई है।
- (vi) लागू पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को पूरा करने का वचन पत्र नहीं दिया गया है।
- (vii) आवेदन में दिखाई गई आवश्यकता के अनुरूप लागत विवरण के साथ आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल की अलग-अलग सूची नहीं दी गई है।

सुरेंद्र मलिक

(viii) क्या किसी छूट का दावा किया जा रहा है और यदि हां, तो किस धारा के तहत और क्या आयकर विभाग। किसी भी समय छूट अस्वीकृत कर दी है, नहीं दी है

(ix) क्या आयकर विभाग द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें, नहीं दिया गया

(x) हस्तांतरण मूल्य निर्धारण का मुद्दा उठाने वाली सहयोगी कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण नहीं दिया गया है।

(xi) कंपनी की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति विवरण की पूरी प्रतिलिपि नहीं दी गई है।

(xii) कॉलम संख्या XII (ii) के सामने फॉर्म एफ में इकाई ने 'नहीं' का उल्लेख किया है जबकि इकाई को मौजूदा इकाई के विवरण का उल्लेख करना है।

(xiii) वित्त वर्ष 2022-23, 2021-22 2020-21 के लिए मेसर्स जीकेबी आईकेयर प्राइवेट लिमिटेड की वित्तीय स्थिति विवरण के अनुसार क्रमशः 12,742/- रुपये, 16,965/- रुपये और 996,127.19/ रुपये का घाटा दिखाया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है।

(xiv) फॉर्म-एफ में उल्लिखित पता दोनों निदेशकों के पते के प्रमाण यानी आधार कार्ड से बेमेल है।

(xv) दोनों निदेशकों के लिए डीआईआर-12 प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(xvi) परियोजना रिपोर्ट में दिखाए गए संयंत्र और मशीनरी का मूल्य फॉर्म-एफ में उल्लिखित मूल्यों से बेमेल है।

(xvii) श्री विवेक गुप्ता, निदेशक के पक्ष में बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति।

(xviii) प्रस्तावित इकाई के लाभ और हानि विवरण में, बिक्री का मूल्य केवल घरेलू बिक्री के रूप में दिया गया है। इसके अलावा, मान फॉर्म-एफ में उल्लिखित अनुमानों से भी बेमेल हैं।

(xix) श्री विवेक गुप्ता, निदेशक के पक्ष में बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति।

2.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित उत्पादों के संशोधित और सही आईटीसी (एचएस) कोड प्रस्तुत करने और उपरोक्त अनुच्छेद 2.3 में कमियाँ के सुधार के अधीन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स जीकेबी आईकेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्रावधानों के अनुसार विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित करेगी और विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिए निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।

सुरेंद्र मलिक

(ii) विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिए निवल विदेशी मुद्रा (NFE) स्थिति की निगरानी अलग से की जाएगी।

(iii) यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) में दी गई सेवाओं की परिभाषा का अनुपालन करेगा।

(3) अर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं का समावेश।

3.1 मेसर्स मेसर्स अर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने अध्याय 22 अर्थात् 2201 (22011010, 22011020, 22019010, 22019090); 2202 (22021010, 22021020, 22021090, 22029100, 22029910, 22029920, 22029930, 22029990); 22030000, 2204 (22041000, 22042110, 22042120, 22042190, 22042210, 22042220, 22042290, 22042910, 22042920, 22042990, 22043000); 2205 (22051000, 22059000); 22060000; 2207 (22071011, 22071019, 22071090, 22072000); 2208 (22082011, 22082019, 22082091, 22082099, 22083011, 22083012, 22083013, 22083019, 22083091, 22083092, 22083093, 22083099 , 22084011, 22084012, 22084091, 22084092, 22085011, 22085012, 22085091, 22085092, 22086000, 22087011, 22087012, 22087091, 22087092, 22089011, 22089012, 22089019, 22089091, 22089092, 22089099); 2209 (22090010, 22090020, 22090090) के तहत शराब सहित अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

3.2 श्री राघव झुनझुनवाला, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे कुछ फर्मों को सेवाएं प्रदान करने का इरादा रखते हैं जो मूल निर्माता या ब्रांड मालिकों के वितरण, विपणन और बिक्री आदि के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे केवल भंडारण सेवाएं प्रदान करेंगे और बोतलबंद पैकिंग या रीपैकिंग आदि जैसी कोई अन्य गतिविधियां नहीं होंगी। हालाँकि, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और अन्य जानकारी की लेबलिंग होगी जो घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में मंजूरी से पहले राज्य उत्पाद शुल्क कानूनों और एफएसएसआई नियमों के अनुसार अनिवार्य है।

3.3 श्री झुनझुनवाला ने आगे बताया कि उन्हें धूप के चश्मे के भंडारण (90041000) के लिए एक व्यावसायिक प्रस्ताव मिल रहा है और उन्होंने 05/02/2024 को इसे शामिल करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। उन्होंने उक्त उत्पाद को भी अपने स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने का अनुरोध किया।

3.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि आयात नीति के साथ-साथ 22072000 (एथाइल शराब और अन्य स्परिट, विकृत, किसी भी ताकत की) की निर्यात नीति प्रतिबंधित है।

अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि 29.12.2023 को वाणिज्य विभाग में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दायर किए गए दस्तावेज़ (और चाहे वह कायिक या ऑनलाइन था), मूल्यांकन की विधि, संबंध सहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं सहित एफटीडब्ल्यूजेड की विशेषताओं पर चर्चा की गई ग्राहकों के साथ इकाई की स्थिति, संचालन को सुव्यवस्थित करने के उपाय और एफटीडब्ल्यूजेड के तहत कवर किए गए

सुरेंद्र मलिक

उत्पादों का दायरा। इस बैठक के परिणामस्वरूप, जोनल नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) का कार्यालय उत्पाद शुल्क सहित मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) के विभिन्न मापदंडों की समीक्षा कर रहा था।

3.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आईटीसी (एचएस) शीर्षक 2201 (22011010, 22011020, 22019010, 22019090); 2202 (22021010, 22021020, 22021090, 22029100, 22029910, 22029920, 22029930, 22029990); 2209 (22090010, 22090020, 22090090) और धूप का चश्मा (90041000) के तहत माल के भंडारण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने अन्य प्रस्तावित मदों के संबंध में निर्णय को स्थगित रखने का निर्णय लिया।

(4) लक्ष्मण ओवरसीज - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं को शामिल करना और 10% माल की जांच की शर्त हटाने का अनुरोध।

4.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स लक्ष्मण ओवरसीज ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

“(ए) निम्नलिखित अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं को शामिल करना: (i) अन्य मेवे, ताजा या सूखे, चाहे छिले हुए हों या नहीं (0802); (ii) अंगूर, ताजा या सूखे (0806); (iii) अदरक, केसर, हल्दी (करकुमा), अजवायन, तेजपत्ता, करी और अन्य मसाले (0910); (iv) खाद्य तैयारी जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है (2106); (v) ताजा अंगूर की वाइन, जिसमें फोर्टिफाइड शराब भी शामिल है; अंगूर शीर्षक 2009 (2204) के अलावा अन्य होना चाहिए; (vi) वर्माउथ और पौधों या सुगंधित पदार्थों के स्वाद वाले ताजे अंगूरों की अन्य शराब (2205); (vii) 80% वॉल्यूम या उससे अधिक की मात्रा में मादक शक्ति वाला अनडिनेचर्ड एथिल शराब; एथिल शराब और अन्य स्पिरिट, विकृत, किसी भी शक्ति का (2207); (viii) 80% से कम वॉल्यूम की मादक ताकत वाला अनडिनेचर्ड एथिल शराब; स्पिरिट, लिकर और अन्य स्पिरिटनस पेय पदार्थ (2208); (ix) बिजली की मोटर और जनरेटर (जेनरेटिंग सेट को छोड़कर) (8501); (x) विद्युत चुम्बक; स्थायी चुम्बक और वस्तुएं चुम्बकीकरण के बाद स्थायी चुम्बक बनने का इरादा रखती हैं; विद्युत -चुंबकीय या स्थायी चुंबक चक, क्लैप और समान होल्डिंग उपकरण; विद्युत चुम्बक कपलिंग, क्लच और ब्रेक; इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टिंग हेड्स (8505); (xi) विकलांग उपकरण, जिसमें बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट और ट्रेस शामिल हैं; स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; श्रवण यंत्र और अन्य उपकरण जो किसी दोष या विकलांगता की भरपाई के लिए पहने या ले जाए जाते हैं, या शरीर में लगाए जाते हैं (9021); (xii) अन्य फर्नीचर और उसके हिस्से (9403); (xiii) वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम बर्तन, पूर्ण; कांच के भीतरी भाग (ग्लास इनर्स) के अलावा उसके हिस्से (9617); (xiv) कॉफी, चाहे भुनी हुई हो या नहीं, या डेकैफिनयुक्त; कॉफी की भूसी और खाल; किसी भी अनुपात में कॉफी युक्त कॉफी के विकल्प (0901)

(बी) माल की 10% जांच की शर्त हटा दें”

4.2 श्री विपुल अग्रवाल, मालिक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री अग्रवाल ने कहा कि वे अपनी भंडारण सेवाओं में अधिक एचएसएन शामिल करना चाहते हैं ताकि वे अपना

सुरेंद्र मलिक

व्यवसाय बढ़ा सकें। उन्होंने आगे कहा कि उनकी इकाई पर उनके भंडारण के माध्यम से निर्यात या आयात के समय 10% माल की जांच करने की शर्त लगाई जाती है और इससे उनके ग्राहकों को बहुत परेशानी हो रही है और उन्हें इसके कारण महत्वपूर्ण व्यवसाय का नुकसान हो रहा है। उन्होंने 10% परीक्षा की इस शर्त को हटाने का अनुरोध किया ताकि वे अपना व्यवसाय परेशानी मुक्त तरीके से चला सकें।

4.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि आयात नीति के साथ-साथ 22072000 (एथाइल शराब और अन्य स्पिरिट, विकृत, किसी भी ताकत की) की निर्यात नीति प्रतिबंधित है। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि 29.12.2023 को वाणिज्य विभाग में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दायर किए गए दस्तावेज़ (और चाहे वह कायिक या ऑनलाइन था), मूल्यांकन की विधि, संबंध सहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं सहित एफटीडब्ल्यूजेड की विशिष्टताओं पर चर्चा की गई ग्राहकों के साथ इकाई की स्थिति, संचालन को सुव्यवस्थित करने के उपाय और एफटीडब्ल्यूजेड के तहत कवर किए गए उत्पादों का दायरा। इस बैठक के परिणामस्वरूप, जोनल नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) का कार्यालय उत्पाद शुल्क सहित मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) के विभिन्न मापदंडों की समीक्षा कर रहा था।

4.4 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई ने प्रस्तावित अतिरिक्त सामान के लिए 8 अंकों के बजाय 4 अंकों का एचएस कोड जमा किया है।

4.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आईटीसी (एचएस) शीर्षक 8501, 8505, 9021, 9403, 9617 के तहत माल के भंडारण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को 8 अंकों के एचएस कोड प्रस्तुत करने के अधीन मंजूरी दे दी। उत्पाद. अनुमोदन समिति ने अन्य प्रस्तावित मदों के संबंध में निर्णय को स्थगित रखने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) से माल की 10% जांच की शर्त को हटाने का भी निर्णय लिया।

(5) टॉरस एंग्लोब प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं का समावेश।

5.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 06/02/2024 के माध्यम से अपने प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया है। अनुमोदन समिति ने इकाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

(6) एएसी प्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव।

6.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 21/09/2023 से निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तनों और निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में इकाई के शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव पर ध्यान दिया:

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
--------------	----------------

सुरेंद्र मलिक

1. श्री सुनील गोवर 2. श्रीमती जोडी बेथ वायलेट रिचर्ड्स श्रीवास्तवा	1. श्री सुनील गोवर 2. श्रीमती जोडी बेथ वायलेट रिचर्ड्स श्रीवास्तवा 3. श्री केदान नाथ श्रीवास्तवा 4. श्रीमती नीलम श्रीवास्तवा
---	---

(बी) कंपनी के पूर्व और बाद के शेयरधारिता स्वरूप का विवरण

शेयरधारक का नाम	29/01/2021 को शेयरधारिता स्वरूप		29/09/2023 को वर्तमान शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	%शेयरधारिता	शेयरों की संख्या	%शेयरधारिता
1. एएसी इंटरनेशनल एलएलसी (विदेशी निकाय कॉर्पोरेट)	1,96,000	98%	3516000	99.88%
2. जोडी बेथ-वायलेटा रिचर्ड्स-श्रीवास्तव (विदेशी व्यक्ति)	4,000,	2%	4000	0.12%
शेयरधारिता में परिवर्तन	1.88% (मौजूदा शेयरधारकों के भीतर)			

6.2 अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए ईएम प्रभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को निर्देश दिया।

(7) प्रोटीम कंप्यूटर - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और अधिकृत संचालन का अद्यतनीकरण।

7.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स प्रोटीम कंप्यूटर ने पांच साल के चौथे ब्लॉक की शेष अवधि यानी 18/10/2025 तक स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। आगे बताया गया कि अनुमोदन समिति ने 07/11/2023 को हुई अपनी बैठक में इकाई को विनिर्माण गतिविधि के लिए वस्तुओं की विशिष्ट/अलग सूची और पुनः-अभियांत्रिकी/नवकरण/नवीनीकरण/निर्माण गतिविधि अलग सूची प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। नवीनीकरण/पुनर्निर्माण गतिविधि। तदनुसार, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12/12/2023 के माध्यम से इकाई से अनुमोदन समिति (UAC) के निर्णय का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था।

7.2 यह भी सूचित किया गया कि इकाई ने अब निम्नलिखित गतिविधियों के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है:

सुरेंद्र मलिक

मौजूदा :	नवीनीकृत अवधि के लिए प्रस्तावित
<p>मदर बोर्ड, ऐड ऑन कार्ड, बेयर बोन पीसी, स्काइप फोन, ओ.डी.डी., मेमोरी (डीडीआर 1 और 2) और पीसी के सहायक उपकरण (8471) का निर्माण (852000 टुकड़े/वर्ष);</p> <p>(2) सॉफ्टवेयर का निर्माण और पुनर्रचना, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, उन्नयन, घटकों को पुनः प्राप्त करना, रीपैकिंग, कंप्यूटर पेरिफेरल्स की रीमेकिंग (8473) शर्तें:</p> <p>1. इकाई नवकरण, पुनर्सज्जा और पुनः-अभियांत्रिकी गतिविधियों के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(4)डी) के प्रावधानों का पालन करेगी।</p> <p>2. मरम्मत, नवीनीकरण और पुनः अभियांत्रिकी से संबंधित गतिविधियाँ इस शर्त के अधीन होंगी कि निर्यात का आयात के साथ एक से एक संबंध होगा और सभी पुनर्निर्मित या मरम्मत या पुनर्निर्मित उत्पाद और स्क्रेप या अवशेष या अपशिष्ट का निर्यात किया जाएगा और इनमें से किसी का भी निर्यात नहीं किया जाएगा। इन वस्तुओं को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने या नष्ट करने की अनुमति दी जाएगी।</p>	<p>1 विनिर्माण:</p> <p>(i) माइनिंग रिग, पर्सनल कंप्यूटर (84713010) (2000 टुकड़े/प्रति वर्ष)</p> <p>(ii) क्रिप्टो माइनिंग बोर्ड मदर बोर्ड (84733020) (25000 टुकड़े/वर्ष)</p> <p>(iii) पॉपुलेटेड पीसीबी राइजर कार्ड, ऐड ऑन कार्ड, अन्य माउंटेड पीसीबी (84733030) (25000 टुकड़े/सालाना)</p> <p>(iv) एसएमपीएस, चार्जर (85044030) (50000 टुकड़े/सालाना) (v) अन्य स्टेटिक कन्वर्टर (85044029) (50000 टुकड़े/सालाना)</p> <p>(vi) कंप्यूटर केस, पीसी कैबिनेट , शीर्षक 8471 (84733099) (25000) के अन्य भाग और सहायक उपकरण टुकड़े/वर्ष)</p> <p>(vii) स्टोरेज रिग, हार्ड डिस्क ड्राइव (84717020) (2000 टुकड़े/वर्ष)</p> <p>(viii) एकसट स्टोरेज प्रणाली, अन्य स्टोरेज इकाई (84719000) (2000 टुकड़े/प्रति वर्ष) (i x) संचायक (85078000) (25000 टुकड़े/प्रति वर्ष)</p> <p>2. पुनर्रचना एवं उन्नयन</p> <p>(i) बैटरी प्रबंधन प्रणाली, अन्य भाग (85049090) (65000 टुकड़े/वर्ष)।</p> <p>(ii) पीसी का मुख्य बोर्ड, मदर बोर्ड (84733020) (15000 टुकड़े/वर्ष)।</p> <p>(iii) अन्य पीपीसीबी, माउंटेड बोर्ड (84733030) (15000 टुकड़े/वर्ष)।</p> <p>(iv) स्टेटिक कन्वर्टर (85044030) (10000 टुकड़े/वर्ष)। (v) माइक्रो और मिनी पीसी (84713010) (5000 टुकड़े/वर्ष)।</p> <p>(vi) अन्य भंडारण इकाई (84719000) (5000 टुकड़े/प्रति वर्ष)।</p>

7.3 फर्म के भागीदार श्री मुनीश शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उनके पास पुनः-अभियांत्रिकी/ उन्नयन के लिए बीएमएस (बैटरी प्रबंधन प्रणाली) और अन्य ऐड-ऑन कार्ड के लिए निर्यात ऑर्डर हैं ताकि एलएफपी बैटरी का उपयोग करके सौर ऊर्जा के साथ ग्राफिक रिग या अन्य आंकड़ा प्रक्रमण (डेटा प्रोसेसिंग) मशीनों को संचालित किया जा सके।

सुरेंद्र मलिक

7.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पांच साल के चौथे ब्लॉक की शेष अवधि, यानी प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए 18/10/2025 तक, निर्यात आदेशों की प्रति, व्यवसाय योजना और 8 अंकों वाले आईटीसी (एचएस) कोड के साथ कच्चे माल की सूची जमा करने की शर्त पर, के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने इकाई में पूंजीगत वस्तुओं की जांच के लिए जेसी (सीमा शुल्क) को निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकासक, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय को इकाई के उत्तर की जांच करने और फ़ाइल पर अंतिम अनुमोदन देने का अधिकार दिया।

(8) जयश्री जनरल ट्रेडिंग कंपनी - अतिरिक्त अधिकृत परिचालन का समावेश।

8.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया।

(9) अत्तर मोहम्मद सईद दाऊद एंड ब्रदर्स - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, उत्पादन क्षमता का अद्यतनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

9.1 मेसर्स अत्तर मोहम्मद सईद दाऊद एंड ब्रदर्स को 12/06/2013 को एक स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया गया था। इकाई ने अपना निर्यात उत्पादन 18/10/2013 से शुरू किया और पांच साल का पिछला ब्लॉक 17/10/2023 तक वैध था। स्वीकृति पत्र (LOA) को अल्प अवधि के लिए 31/03/2024 तक बढ़ा दिया गया था ताकि इकाई का काम प्रभावित न हो।

9.2 यह सूचित किया गया कि इकाई ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार पांच साल के तीसरे ब्लॉक यानी 17/10/2028 तक स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है:

मौजूदा :	नवीनीकृत अवधि के लिए प्रस्तावित
(i) अत्तर (33019031)	(i) अत्तर (33019031) (क्षमता: 16125.00 किलोग्राम/वर्ष),
(ii) इत्र और इत्र यौगिक (33030010, 33029090);	(ii) इत्र और इत्र यौगिक (33030010, 33029090) (क्षमता:
(iii) अगरबत्ती और बखूर (33074100);	प्रत्येक कोड के अनुसार 0.20 किलोग्राम/वर्ष),
(iv) पैकिंग के लिए चंदन की लकड़ी का हस्तशिल्प लेख (44219090);	(iii) अगरबत्ती और बखूर (33074100) (क्षमता: 0.20 किलोग्राम/वर्ष),
(v) चंदन की लकड़ी का तेल (33012937);	(iv) पैकिंग के लिए चंदन की लकड़ी के हस्तशिल्प लेख (44219990) (क्षमता: 0.20 किलोग्राम/वर्ष),
(vi) अगर लकड़ी और तेल (33013010);	(v) चंदन की लकड़ी का तेल (33012937) (क्षमता: 0.04 किलोग्राम/वर्ष),
(vii) धूल से इनकार (33074900);	(vi) अगर लकड़ी और तेल (33013010) (क्षमता: 0.04 किलोग्राम/वर्ष),
(viii) हेयर ऑयल (33059030);	(vii) रिफ्यूज डस्ट (33074900) (क्षमता: 0.20 किलोग्राम/वर्ष),
(ix) इत्र उत्पादों के लिए पैकिंग सामग्री (96161010) (कुल उत्पादन क्षमता: 50000 किलोग्राम/वर्ष) का विनिर्माण;	

सुरेन्द्र मलिक

<p>हालाँकि, 'पैकिंग के लिए चंदन की लकड़ी के हस्तशिल्प लेख (44219090)' को छोड़कर ऊपर उल्लिखित वस्तुओं के लिए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से स्वीकृति पत्र (LOA) को 31/03/2024 तक छोटी अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।</p> <p>इसके अलावा, इकाई को अधिकृत परिचालन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन थी:</p> <p>(ए) आयात के लिए प्रतिबंधित किसी भी इनपुट या निर्यात के लिए प्रतिबंधित उत्पादों के लिए, या तो आयात या निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होगी या उस शर्त को पूरा करना होगा जो इसे मुफ्त बना देगी। क्रमशः आयात या निर्यात के लिए निषिद्ध किसी भी इनपुट या अंतिम उत्पाद की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>(बी) यदि निर्यात नीति प्रतिबंधित है, तो निर्यात प्राधिकरण लेने की आवश्यकता होगी। निर्यात के लिए प्रतिबंधित उत्पादों का कोई निर्यात नहीं होगा अनुमत।</p> <p>(सी) यदि आयात के लिए आयात नीति प्रतिबंधित है और सीआईटीईएस सम्मेलन का पालन करना अनिवार्य है, तो इसका पालन किया जाना चाहिए। (डी) यदि आयात नीति किसी इनपुट के लिए प्रतिबंधित है, तो आयात लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। ऐसे इनपुट की किसी भी घरेलू खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>(ई) आयात के लिए प्रतिबंधित किसी भी उत्पाद की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>	<p>(viii) हेयर ऑयल (33059019) (क्षमता:0.20 किलोग्राम/वर्ष),</p> <p>(ix) इत्र उत्पादों के लिए पैकिंग सामग्री (96161010) (क्षमता:0.20 किलोग्राम/वर्ष) का विनिर्माण</p>
--	--

9.3 आगे बताया गया कि पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार है:

मूल्य रुपये लाख में					
वर्ष	निर्यात	विदेशी मुद्रा व्यय	एनएफई कमाई	तैयार माल की डीटीए बिक्री	लंबित एनएफई
2018-19 (18.01.18-31.03.19)	579.47	860.73	-283.26	0.00	0.00
2019-20	1382.83	1258.06	124.77	0.00	0.00
2020-21	948.77	658.95	289.82	0.00	0.00
2021-22	1086.97	859.45	227.52	0.00	0.00
2022-23	1346.03	1111.91	234.12	0.00	0.00

सुरेंद्र मलिक

कुल	5344.07	4751.10	592.97	0.00	0.00
-----	---------	---------	--------	------	------

9.4 फर्म में भागीदार श्री रेहान अहमद अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

9.5 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 2018-19 (18.10.18- 31.03.19) से 2022-23 के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि पिछले ब्लॉक के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए लंबित नहीं है। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि सीए शीट के अनुसार, पहले उल्लेखित और वर्तमान वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में निर्यात के मूल्यों में बदलाव आया है।

9.6 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत संचालन और उत्पादन क्षमता के लिए पांच साल के तीसरे ब्लॉक की शेष अवधि यानी 17/10/2028 तक स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को संशोधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) की तुलना में पुराने वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में उल्लिखित निर्यात के मूल्यों में अंतर के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

(10) आगरा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(9) के तहत व्यक्तिगत सामान रिटर्न के पुनः आयात की अनुमति के लिए अनुरोध।

10.1 समिति को सूचित किया गया कि इकाई ने उनसे चांदी और नकली आभूषणों के सामान को फिर से आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, जो एसबी नंबर 4001322 दिनांक 13/01/2023 के तहत 3 बैगों में चालान संख्या आगरा/आर/006/22-23 के अनुसार व्यक्तिगत सामान के तहत भेजा गया था। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(9) के तहत वापसी योग्य आधार पर निर्यात प्रोत्साहन उद्देश्य के लिए एफओसी व्यापार नमूने के लिए थे।

10.2 आगे बताया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(9) में **केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान है कि (iv) प्रदर्शनी या प्रदर्शन दौरों में बिना बिके सामान को प्रदर्शनी के पूरा होने के पैंतालीस दिनों के भीतर या ऐसे दिनों के भीतर आयात किया जाएगा जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है।** हालाँकि, मौजूदा मामले में, इकाई ने 45 दिनों के भीतर माल का आयात नहीं किया है।

10.3 श्री रोहित गुप्ता, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने CARNET के लिए आवेदन किया था और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, CARNET IN22/2023/DE को विभिन्न देशों में बिजनेस प्रमोशन टूर/प्रदर्शनियों के लिए एक वर्ष के लिए वैध (सत्यापन तिथि सक्षम प्राधिकारी (फिक्की, दिल्ली) द्वारा 10/01/2024 तक) जारी किया गया था। यह कहा गया था कि वे कारने (CARNET) अनुमोदन के बिना व्यवसाय करने में असमर्थ थे, श्री गुप्ता ने उन्हें 45 दिनों की अवधि

सुरेंद्र मलिक

(जैसा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(9) के तहत निर्धारित है) के बजाय कारने (CARNET) के अनुसार 365 दिनों के भीतर माल को फिर से आयात करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया।

10.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सर्वसम्मति से विकास, उप विकास (केएम) और जेसी (सीमा शुल्क) की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया और मामले की आंतरिक जांच करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(6)(x) और 46(9) के तहत निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

(11) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भंडारण इकाइयों की समीक्षा और अधिकृत संचालन में संशोधन के लिए मेसर्स सांवरे एफटीडब्ल्यूजेड सर्विसेज को जारी पत्र दिनांक 05/02/2024 का अनुसमर्थन।

11.1 बताया गया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में कई इकाइयों को अन्य अधिकृत परिचालन के साथ-साथ अधिकृत संचालन के रूप में भंडारण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। आगे यह भी बताया गया कि 29.12.2023 को वाणिज्य विभाग में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दायर किए गए दस्तावेज (और चाहे यह कायिक या ऑनलाइन था), मूल्यांकन की विधि, संबंध सहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं सहित एफटीडब्ल्यूजेड की विशिष्टताओं पर चर्चा की गई। ग्राहकों के साथ इकाई, संचालन को सुव्यवस्थित करने के उपाय और एफटीडब्ल्यूजेड के तहत कवर किए गए उत्पादों का दायरा। इस बैठक के परिणामस्वरूप, जोनल नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) का कार्यालय उत्पाद शुल्क सहित मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) के विभिन्न मापदंडों की समीक्षा कर रहा है।

11.2 आगे बताया गया कि अनुमोदन समिति ने 15.01.2024/16.01.2024 को आयोजित अपनी बैठक में नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में कुछ भंडारण इकाइयों के अधिकृत संचालन की समीक्षा की थी। हालाँकि, कुछ इकाइयों का नाम अनजाने में छूट गया था। इसके अलावा, 15.01.2024/16.01.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स सांवरे एफटीडब्ल्यूजेड सर्विसेज के अधिकृत संचालन को इस कार्यालय पत्र दिनांक 05/02/2024 और आइटम अर्थात् "फल (8) को अनुमोदन समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन "फल (8) (080132, 080280) को छोड़कर के माध्यम से संशोधित किया गया था।

11.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद और वाणिज्य विभाग में इस मुद्दे पर हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन समिति ने उन सभी इकाइयों के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए, जिन्हें भंडारण की अनुमति दी गई है: -

(1) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में सभी लेनदेन केवल ऑनलाइन विधि द्वारा किए जाएंगे। यदि किसी अपरिहार्य कारण से सीमा शुल्क द्वारा कोई नियमावली से लेनदेन किया जाना है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी या सीमा शुल्क आयुक्त की मंजूरी, जैसा लागू हो, प्राप्त की जानी चाहिए। इसके

सुरेंद्र मलिक

बाद, उचित लेखांकन के लिए लेनदेन को जल्द से जल्द ऑनलाइन रिपोर्ट किया जाना चाहिए और ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली पर अपलोड किया जाना चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के अधिकृत अधिकारी वस्तुओं और सेवाओं के सही मूल्यांकन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सामान का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एनआईडीबी डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

(2) उत्पाद शुल्क:

मौजूदा भंडारण इकाइयों (जिनमें अन्य गतिविधियों के साथ भंडारण की अनुमति दी गई है) के सभी स्वीकृति पत्र (LOA) जिनमें कीमती धातुएं और संबंधित सामान और भंडारण गतिविधियों के लिए अन्य संवेदनशील सामान हैं, को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाएगा: -

(क) अंतर्गत आने वाली सभी कीमती धातुओं और संबंधित वस्तुओं का भंडारण हार्मोनाइज्ड प्रणाली (एचएस) अध्याय 71, एचएस 2616, 9101, 9111, 91149030 और एचएस 9608 को हटा दिया जाएगा, हालांकि स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक डी.12/4/2013 वाणिज्य विभाग से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) (खंड II) दिनांक 3 मार्च, 2016; के अनुसार यह कीमती धातुओं के भंडारण/तिजोरी पर लागू नहीं होगा।

(ख) आईटीसी एचएस कोड 080132, 080280, 0904 के तहत सामान ऐसी सभी मौजूदा भंडारण इकाइयों के स्वीकृति पत्र (LOA) से हटा दिया जाएगा।

(ग) हालांकि, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में इकाई के स्टॉक में मौजूद कीमती धातुओं के सामान को इकाई द्वारा फिर से निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है। कीमती धातु के अलावा अन्य सामान जो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में इकाई के स्टॉक में हैं और उन्हें बाहर रखा गया है, उन्हें डीजीएफटी और/या किसी अन्य सरकारी एजेंसी की मौजूदा नीति शर्तों के अनुसार लेनदेन की अनुमति दी जा सकती है।

(3) भंडारण इकाइयों के मामले में, प्रत्येक इकाई उचित परिश्रम करेगी और अपने ग्राहकों के संबंध में केवाईसी सुनिश्चित करेगी जिसमें निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी: -

(क) व्यापार समझौते की प्रति

(ख) संस्थापक/निदेशक के पासपोर्ट/वैध आईडी की प्रतिलिपि

(ग) इस आशय की अंडरटेकिंग की प्रतिलिपि जिसे भंडारण इकाई ने सत्यापित किया है उनके ग्राहकों की केवाईसी, पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति।


(घ) बैंक विवरण और वित्तीय प्रमाण-पत्रों की प्रति।

(4) इकाई माल की आपूर्ति के विरुद्ध प्राप्त प्रेषण की निगरानी करेगी।


सुरेंद्र मलिक

11.4 अनुमोदन समिति ने आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत अन्य वस्तुओं की जांच करने का भी निर्देश दिया जो मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) के तहत कवर किए गए उत्पादों के संचालन और दायरे को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रकृति में संवेदनशील हैं।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।



(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त